International Journal of Information Technology and Management

Vol. X, Issue No. XV, May-2016, ISSN 2249-4510

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

मेरठ जनपद में महिलाओ का योगदान अर्थव्यवस्था के विकास में

www.ignited.in

International Journal of Information Technology and Management
Vol. X, Issue No. XV, May-2016, ISSN 2249-4510

मेरठ जनपद में महिलाओ का योगदान अर्थव्यवस्था के विकास में

Yudhvir Singh[1]* Krishan Pal[2] Babita Rani Tyagi[3]

[1,2] Department of Economics, Meerut College, Meerut

[3] Dewan Institute of Management Studies, Meerut

***सारांश –** भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना आसान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुतः ग्रामीण विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, भूमि तथा अन्य सभी संसाधनों का असामान्य बंटवारा, सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण भारत के विकास में बाधक हैं। महात्मा गांधी ने सच कहा था कि- भारत का आधार और आत्मा गांव हैं। यदि भारत का विकास करना है तो गांवों तथा ग्रामवासियों का विकास करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओ का महत्व अधिक है। महिलाएँ पुरुषों के तुल्य ही कृषि कार्य, गृह कार्य तथा सामाजिक रीती - रिवाजों में समान रूप से हाथ बंटाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला एवं पुरुष दोनों की गाड़ी के पहिये के तुल्य है। जनपद मेरठ में महिलाओ की विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की भूमिका है, इसी को ज्ञात करके उनकी आर्थिक स्तिथि का वर्गीकरण विस्तारपूर्वक विशेषण किया गया है।*

-------------- x --------------

1. प्रस्तावना

मेरठ के संदर्भ में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया या व्यूहरचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जन-जीवन के ताना-बाना को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है। ग्रामीण विकास तो आदिकाल से हमारे जीवन का अंग रहा है। हमारे मनीषियों ने इसे एक दर्शन और साधना के रूप में स्वीकार किया। यदि रामराज्य से लेकर चाणक्य तक तथा गुप्त वंश से लेकर मध्य युग तक की ऐतिहासिक रचनाओं रूपी निधि पर हम निगाह डालते है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रशासकीय व्यवस्था ग्रामीण स्तर से उपर की तरफ जाती थी। चाहे वह कौटिल्य के जमाने का प्रजातंत्र हो या बाद के काल का राजतंत्र सबमें ग्रामीण जीवन की सुख सुविधाओं और सर्वांगीण विकास पर ही बल दिया गया है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ग्रामीण विकास प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में अभी ग्रामीण विकास की दर धीमी है, जिसका प्रमुख कारण आधारभूत संसाधनों का पूर्णतः विकसित न हो पाना है। वर्तमान औद्योगीकरण के युग में ग्रामीण विकास में कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योगों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। फसलाधारित वे उद्योग जिनमें आगत के रूप में कृषि जिन्सों का प्रयोग होता है तथा प्राथमिक तकनीकी पर आधारित मिलों/उद्योगों में उनकी प्रक्रिया अथवा रूपान्तरण होता है, ताकि स्वच्छ जिन्स प्राप्त हो सके, उन्हें कृषि आधारित उद्योगों कह सकते हैं। धान, दाल, तिलहन पर आधारित उद्योग ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं। कृषि जिन्स ही इन उद्योगों के आगत व निर्गत हैं। इन उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इनका संचालन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के साथ ग्रामीण विकास का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, देश में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और वह अधिकतर कृषि पर ही आश्रित है साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने को बाध्य है; ऐसे में कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना से अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने परम्परागत कृषि संरचना में पविर्तन करने के उद्देश्य से कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर विशेड्ढ बल दिया है

2. क्षेत्रानुसार योगदान के आंकड़ों पर एक नजर

जिन विकसित देशों में महिलाएं आर्थिक रूप से अपना योगदान दे रहीं उनमें 79 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र से हैं, जबकि पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 48 प्रतिशत तक है। विकसित देशों में

आर्थिक रूप से योगदान देने में 38 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि पुरुष 36 प्रतिशत ही हैं। वहीं इंडस्ट्री में पुरुषों की संख्या 50 फीसदी जबकि महिलाओं की संख्या 42 प्रतिशत ही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओ की भूमिका का अध्यन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओ के आधार पर किया जा सकता हैं जो की निम्नलिखित हैं

2.1 महिला नेतृत्व वाले परिवार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं महिलाएं। बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जबकि उनकी पहुंच को आज भी सीमित रखा गया है। अगर गांवों में महिला नेतृत्व वाले परिवारों की बात की जाए तो पूर्वी अफ्रीका के इरीट्रिया में सबसे ज्यादा 43.2 फीसदी, जिम्बाब्वे में 43.6, रवांडा में 34, केन्या में 33.8, कॉमोरोस में 31.9, यूगांडा में 29.3, मोजांबिक में 26.3, मालावी में 26.3, तंजानिया 25, मेडागास्कर में 20.6, इथोपिया में 20.1 प्रतिशत है, जबकि मध्य अफ्रिकन देशों गाबोन में 25.4 प्रतिशत, कांगो में 23.4, केमेरून में 22.9, कांगो में 21.8, चाड में 19.1 प्रतिशत है।

ग्रामीण महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा घंटे काम करती हैं। जबकि महिलाएं कृषि कार्य करने के साथ-साथ घर और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। पारिवारिक कार्य अवैतनिक ही होता है। आंकड़ों में देखें तो ओशिनिया में कृषि में महिला कर्मचारियों की संख्या 69 प्रतिशत है जबकि पारिवारिक कार्यों में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं व्यस्त रहती हैं। उप सहारा अफ्रीका में ये आकड़ा 60, 40, दक्षिणी एशिया में 40, 55 उत्तरी अफ्रीका में 40, 20, पूर्वी अफ्रीका में 38,20 प्रतिशत है।

इसके अलावा लगभग सभी देशों में कृषि कार्य कर रहीं महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा मेहनताना भी बहुत कम मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातन महिलाएं खेतों में काम करने के बाद घर का भी काम करते हैं जबकि पुरुष अपना समय मनोरंजन में खपाते हैं। बावजूद इसके ग्रामीण महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता।

2.2 उच्च मूल्य वाले कृषि उद्योगों में महिला कर्मचारियों का योगदान

ज्यादा कमाई देने वाले उत्पादों में भी महिलाएं आगे हैं। कई देशों में महिलाओं की संख्या 70 प्रतिशत से भी ज्यादा है। केन्या में केले के उत्पादन में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। इसी तरह सेंगल में पैदा होने वाले टमाटर में 60 प्रतिशत, युगांडा के फूलों में 60, साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाले फलों में 53 प्रतिशत शेयर महिलाओं का होता है। मैक्सिको में सब्जियों के उत्पादन में महिलाओं की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है।

2.3 कृषि क्षेत्र में महिलाओ की भूमिका

प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका है तथा घरेलू कार्यों के साथ-साथ कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणीय भूमिका है।

पुरूषों का गांव की तरफ से शहर में पलायन होने की वजह से महिलाओं की हिस्सेदारी कृषि के क्षेत्र में बढ़ रही है। इसकी वजह से महिलाएं कृषि को लेकर विभिन्न भूमिकाओं में दिख रही है। मसलन किसान, उद्यमी और श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है।

यह बात आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में कही गई है जिसे सोमवार को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद के पटल पर प्रस्तुत किया।

वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में और स्थानीय जैव व कृषि को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका को निभाया है। ग्रामीण महिलाओं ने विभिन्न तरीके के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रबंधन का एकीकृत ढांचा विकसित किया है जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जाती हैं। अब जरूरत इस बात की है कि महिलाओं तक जमीन, पानी, क्रेडिट और प्रौद्योगिकी पहुंच बढ़ाई जाए।

भारत की स्थिति देखते हुए ग्रामीण महिलाओं को कृषि को लेकर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। महिलाओं को अधिकार दिए जाने के बाद कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। महिला किसानों को अधिकार दिलाने को लेकर सरकार ने कई कदम उठा, है। महिलाओं को मुख्यधारा की कृषि में लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं सभी योजनाओं कार्यक्रमों और विकास संबंधित गतिविधियों में किए जाने वाले आवंटन

www.ignited.in

में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

- लाभदायक कार्यक्रमों, योजनाओं , महिला केंद्रित गतिविधियों पर जोर देने की शुरूआत की गयी है।

- क्षमता विकास गतिविधियों और छोटी बचत के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विभिन्न निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तमाम तरीके की सूचनाएं मुहैया कराने के इंतजाम किए गए हैं।

- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है।

- उत्पादकता बढ़ाने के लिए महिलाओं की कृषि मूल्य कड़ी की उत्पादन, फसल पूर्व, कटाई, पश्च प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपरण से सभी स्तरों पर अधिपत्य होने के चलते महिलाओं की विशिष्ट भागीदारी जरूरी है। छोटी खेत जोत क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण कार्याकल्प में सक्रिय एजेंटों के रूप में महिलाओं को जोड़ना और लैंगिक विशेषता के चलते विस्तार सेवाओं में पुरूषों व महिलाओं को लगाने के लिए समावेशी परिवर्तनकारी कृषि नीति महिला विशिष्ट हिस्सेदारी पर लक्षित होना चाहिए।

3. आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान

विकासशील देशों में औसतन कृषि श्रमिक बल में 43 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं जो विश्व में अनुमानित 60 करोड़ गरीबों में से हैं, यानि दो-तिहाई हिस्सेदारी है, ये आंकड़ें चिंतित करने वाले हैं। वहीं आबादी के अनुसार देश के आर्थिक विकास में कृषि के माध्यम से योगदान देने वाली महिलाओं की बात करें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में इनकी संख्या 1980 की अपेक्षा 2010 तक 20 प्रतिशत, नॉर्थ इस्ट और नॉर्थ इस्ट अफ्रीका में 41 प्रतिशत साउथ एशिया में 32 प्रतिशत, पूर्व दक्षिण एशिया में 45 फीसदी और उप सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा 48 प्रतिशत के आसपास है।

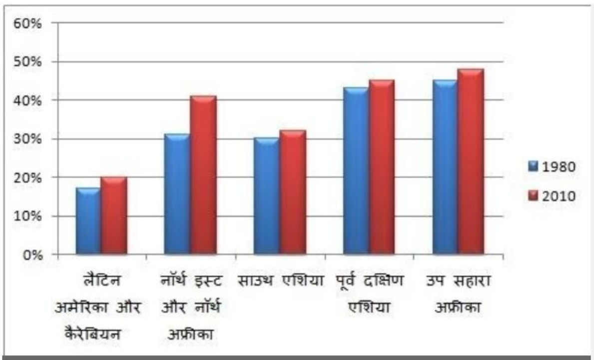

आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान।

संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई। इस चुनाव में लगभग तीस लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान संदर्भो में देखा जाय तो बिहार के बाद मध्यप्रदेश में आने वाले पंचायती चुनावों में यह प्रतिशत बढ़ाकर 50 कर दिया है और यह सब इसलिए भी हुआ है कि महिलाओं की शक्ति को अब पहचान मिल चुकी है और उन्होने कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने पदों पर रहकर न्याय किया है।

ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में कुछ वर्षो पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यद्यपि महिलाओं के लिए यह नया क्षेत्र है तथा सामन्ती मनोवृत्ति से जकडे पुरूष प्रधान समाज में उन्हे पुरूषों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है परन्तु उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी अपने आप को ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक, कम समय में ही सिध्द कर दिया है। अब विवश होकर राजनैतिक दलों को भी अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक पद देने पड रहे है।

ग्रामीण विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक तीन पहलू हैं जो परस्पर एक दूसरे से सम्बध्द हैं। इनमें से आर्थिक विकास में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में दो गुना अधिक श्रम किया जाता है, जहाँ एक पुरुष प्रतिदिन दस घंटे कार्य करता है वहीं एक महिला प्रतिदिन सोलह घंटे कार्य करती हैं लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष आय में उसका योगदान कम होता है। अतः उसके

योगदान को वह महत्व प्राप्त नहीं होता जिसकी वह अधिकारिणी है।

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह स्थिति दयनीय है फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। कुछ समय में देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं ने अभूतपूर्व जाग्रति का परिचय दिया है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में शराब बंदी लागू करने के पीछे ग्रामीण महिलाओं के आंदोलन की ही एकमात्र भूमिका रही है। मणिपुर में तो ग्रामीण महिलाओं ने न केवल शराब बंदी के लिए आंदोलन चलाया बल्कि शराब पीने वाले पुरूषों का सामाजिक बहिश्कार किया तथा शराब पिए हुए पुरूषों की पिटाई करने तक का आंदोलन चलाया तथा इसमें अपने परिवार के पुरूषों तक को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराईयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर उन पर काबू पाने में आशातीत सफलताएं अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए है।

3.1 आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण मेरठ में

जनपद मेरठ में महिलाओ का उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर आर्थिक स्थिति को ज्ञात किया गया है।

आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण (%)

न्याय पंचायत	आर्थिक स्थिति (व्यक्तिगत सम्पत्ति रुपयों में)				
	0–10000	10000–20000	20000–30000	30000 से अधिक	योग
बिचौला	8 (40)	5 (25)	4 (20)	3 (15)	20 (100)
इंचौली	14 (70)	3 (15)	2 (10)	1 (5)	20 (100)
रजपुरा	13 (65)	4 (20)	2 (10)	1 (5)	20 (100)
ग्यानपुर	9 (45)	6 (30)	3 (15)	2 (10)	20 (100)
दत्तावली गेसूपुर	12 (60)	5 (25)	2 (10)	1 (5)	20 (100)
किनानगर	14 (70)	4 (20)	1 (5)	1 (5)	20 (100)
सिरौली	10 (50)	4 (20)	4 (20)	2 (10)	20 (100)
मऊखास	12 (60)	5 (25)	2 (10)	1 (5)	20 (100)
योग	92 (57.5)	36 (22.5)	20 (12.5)	12 (7.5)	160 (100)

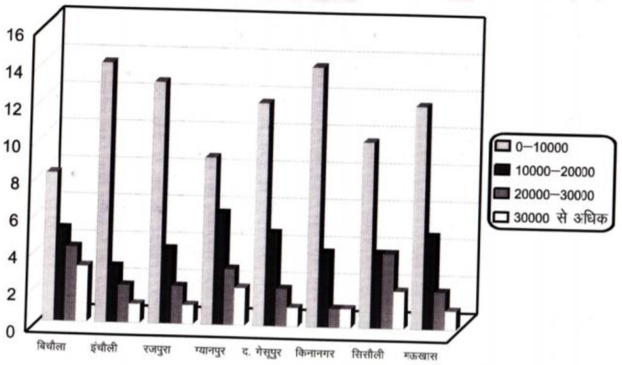

4. लिंग अंतर प्रमुख वजह

- **जमीनों पर अधिकार**

ज्यादा मेहनत और उत्पादन करने के बावजूद कृषि लायक खेतों का मालिकाना हक पुरुषों के पास ही है। लैटिन अमेरिका में 80 फीसदी जमीन पर हक पुरुषों का है। एशियन देशों में तो स्थिति और खराब है। एशिया के देशों में जमीन पर महिलाओं का हक 10 प्रतिशत से भी कम है। इसके अलावा तकनीकी और नई शिक्षा के मामलों में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

- **हाथ से काम करने के मामले में महिलाओं की संख्या 90 फीसदी**

अफ्रिकन देशों में पैदा होने वाले 250 मीट्रिक टन अनाज का 75 प्रतिशत हिस्सा छोटे किसानों से आता है। 75 प्रतिशत पैदावार में मशीनों की मदद नहीं ली जाती है। इतनी फसल पैदा करने में जो समय लगता है उसका 50 से 70 प्रतिशत हाथ से खेती करते की वजह से खर्च होता है। हाथ से की जाने वाली कृषि कार्य में 90 प्रतिशत संख्या महिलाओं की ही होती हैं। 97 देशों में केवल पांच प्रतिशत महिलाओं को ही तवज्जो दी जाती है, जबकि केवल 15 फीसदी महिलाओं को ही विशुद्ध रूप से किसान की संज्ञा दी जाती है।

4.1 कृषि में लिंग अंतर से क्या हो रहा नुकसान

आंकड़ों के मुताबिक कृषि उत्पादनों में महिलाओं का योगदान 20 से 30 प्रतिशत ही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महिला और पुरुषों में भेद कम किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। अगर अंतर कम किया जाए और कृषि में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए तो खाद्व और पोषण की समस्या को खत्म किया जा सकता है।

4.2 भारत में 6 करोड़ महिलाएं खेती के व्यवसाय से जुड़ी हैं

भारतीय जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में छह करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेती के व्यवसाय से जुड़ी हैं। महिला किसान दिवस की मदद से खेती- किसानी को व्यवसाय के तौर पर अपनाने के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। अपने क्षेत्र की कृषि में बड़े योगदान के लिए महिला कृषकों को सरकार व्दारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला किसान दिवस के जरिए कई जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। संतकबीर नगर जिले के मेंधावल गाँव की सम्मानित महिला किसान गुजराती देवी (50 वर्ष) बताती हैं,“ खेती में आज से समय में महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण तकनीकी ज्ञान की कमी है। अगर किसान महिला दिवस में सरकार महिलाओं को आधुनिक खेती के बारे में जागरूक कर सके, तो यह प्रयास सराहनीय होगा।“ इस वर्ष बजट में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की बात को प्रमुखता से उठाते हुए देश में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों में से एक डॉ. एमएस स्वामिनाथन ने यह बात रखी थी कि देश में खेती से जुड़े 50 फीसदी से अधिक कार्यों में महिलाएं शामिल हैं। इसके बावजूद भारत में महिला किसानों के लिए कोई बड़ी सरकारी निति नहीं बनाई गई है।ऐसे में किसान महिला दिवस के माध्यम से देश की करोड़ों महिला किसानों को मदद मिल सकेगी।

4.3 ग्रामीण महिलाएं बदल रहीं हैं भारत की अर्थव्यवस्था

हिन्दुस्तान जिंक का सखी अभियान महिलाओं में सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा भारत के विकास के लिए एक पहल है।

कहा जाता है जब आप गांव में एक महिला को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाते हैं तो वह महिला ना केवल अपने परिवार को, अपने गांव को, बल्कि अपने देश को सुदृढ़ बनाती है। यही मूल कारण बनता है देश के विकास का एवं अर्थव्यवस्था में सुधार का।

सन 2011 के जनसंख्या सर्वे के अनुसार भारत की 83.3 करोड़ जनसंख्या गांवों में रहती है तथा 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरों मे रहती है। गांवों की जनसंख्या में तकरीबन 40.51 करोड़ महिलाएं तथा 4279 करोड़ पुरूष है। गांवों में महिलाओं की संख्या शहरों के मुकाबले प्रति हजार अधिक है।

अगर हम इन ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बना सके तथा छोटे-बड़े घरेलू उद्योगों से जोड़ सकें तो यही महिलाएं अपना एक अलग अस्तित्व बनाने में सक्षम होगीं। यह एक ऐसा अस्तित्व होगा जो उनके परिवार का मार्गदर्शक बनेगा तथा बच्चों के शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य, स्वच्छता व उनके विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

जरूरत है एक इच्छा शक्ति की एक संकल्प की तथा एक आत्मविश्वास की।

गांवों में महिलाओं में बढ़ती शिक्षा दर तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की चाह ने हिन्दुस्तान जिंक को प्रेरित किया कि वह इन ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को साथ लाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन प्रारंभ करें। हिन्दुस्तान जिंक ने यह प्रक्रिया वर्ष 2006 में प्रारंभ की जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान जिंक ने गांवों में घर-घर जाकर परिवारों को स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में बताया व इनकी उपयोगिता के बारें में विस्तृत जानकारी दी।

गांवों में अपने रीति-रिवाज होते हैं तथा साथ ही शहरों की तुलना में गांवों में परिवारों में अधिक जुड़ाव रहता हैं। गांवों में महिलाओं को परम्पराओं के अंतर्गत रहना पड़ता है। यह भी सच है कि इन परम्पराओं के रहते इन ग्रामीण महिलाओं को बाहर का कोई भी कार्य स्वतः रूप से लेने की आजादी नहीं होती।

शुरूआती दौर में हिन्दुस्तान जिंक को घरों के मुख्यिा एवं बुजर्गों को स्वयं सहायता समूह के गठन की उपयोगिता व उससे होने वाले लाभ के बारे में गहन रूप से समझाना पड़ा। अपने परम्परागत व्यावसाय से बाहर आने को यह ग्रामीण परिवार तैयार ही नहीं थे, महिलाओं को भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। परिवार के रीति-रिवाज, उठना बैठना, संगत तथा जातिवाद भी स्वयं सहायता समूहों के गठन में परेशानी पैदा कर रहा था।

निरन्तर प्रयास अथवा सम विचार वाले परिवारों को समझा कर हिन्दुस्तान जिंक ने स्वयं सहायता समूह के गठन की शुरूआत की। यहीं से हिन्दुस्तान जिंक ने स्वयं सहायता समूहों का गठन प्रारंभ किया। एक से दस, दस से बीस, बीस से सौ, सौ से दोसो, फिर चारसों और अब 2014 में 475 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका हैं। यह सभी समूह आज हिन्दुस्तान जिंक के ‘सखी’ स्वयं सहायता समूह के रूप में जाने जाते है।

शुरूआती दौर में समूह के गठन के तुरन्त बाद इन महिलाओं को बचत के बारे में सिखाया गया। इसके पश्चात् इन महिलाओं को बैंकों द्वारा जोड़कर बैंकों में खाते खुलवाये गये। अब यही महिलाएं अपनी बचत को बैंको में जमा करने लगी हैं। दूसरा

www.ignited.in

पड़ाव था इन महिलाओं को इनकी इच्छानुसार एवं बढ़ते बाजार के मुताबिक प्रषिक्षण प्रदान कराना।

ग्रामीण महिलाएं मूलतः दो परिवेश में प्रषिक्षण प्राप्त करना चाहती थी। पहला कृषि व पशुपालन संबंधित तथा दूसरा गैर-कृषि यानि वस्त्रों व साज-सज्जा के सामान संबंधित। कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो अपने परम्परागत टेरीकोटा व्यवसाय से ही जुड़ी रहना चाहती थीं।

खेतीबाड़ी से जुड़ी महिलाओं को हिन्दुस्तान जिंक ने कृषि उत्थान, नकदी फसल, मल्टि क्रॉपिंग तथा बीज व उर्वरक के चयन में प्रशिक्षत किया। पशुपालन में मुर्गी पालन व बकरी पालन से किस प्रकार लाभ उठाया जाए इस पर जोर दिया गया।

ग्रामीण महिलाओं नें सिलाई कढ़ाई बुनाई मीनाकारी एम्ब्रोइडरी गहने बनाना, घर की साज-सज्जा का सामान तथा कपड़े बनाना आदि में अत्यन्त रूचि दिखाई। इन महिलाओं को इन्ही क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया।

'सखी' स्वयं सहायता समूह की यह महिलाएं दिन में लगभग 4 घंटे काम करती है। समय के सदपयोग का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। महिलाएं अपने घरेलू कार्यो अथवा दिनचर्या के कार्यो के साथ-साथ नियमित तौर पर प्रतिदन प्रशिक्षण लेती है अथवा सामान बनाती है।

'सखी' स्वयं सहायता समूहों के बनाये सामानों को बेचने के लिए हिन्दुस्तान जिंक ने इन समूहों को विभिन्न बाजारों से जोड़ा है। मूलरूप से स्वयं सहायता समूह वही वस्तुएं बनाते हैं जिसकी बाजार में मांग हो तथा बेचना आसान हो। यह बाजार केवल राजस्थान तक सिमित न रह कर दिल्ली, मुम्बई तथा गुजरात तक फैल चुका हैं। विभिन्न चर्चित ब्राण्ड भी इन 'सखी' स्वयं सहायता समूहों से सामान खरीद रहे हैं।

लगभग सभी स्वयं सहायता समूह बैंकों से जुड़ चुके हैं तथा यह महिलाएं अपना खाता स्वयं संचालित करती है एवं लेन-देन करती है। इसके अलावा इन महिलाओं ने अपना चिट फण्ड भी बनाया है जिसमें हर महिला अपना योगदान देती है। वक्त पड़ने पर इन महिलाओं को अति न्यूनतम दर पर पैसा उपलब्ध हो जाता है।

आज ये महिलाएं सामाजिक रूप से सशक्त एवं आत्मविश्वासी है तथा इन्होंने समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया हैं। आज ये महिलाएं ना सिर्फ परिवार में आर्थिक योगदान दे रही है अपितु परिवार के जीवनशैली, जिसमें घर का रख-रखाव भी शामिल है, में भी परिवर्तन ला रही है। अपने बच्चों को नियमित शिक्षा दिलाने में भी इन महिलाओं का सराहनीय योगदान है।

'सखी' अभियान इन सभी ग्रामीण एवं आदिवासी उद्यमी महिलाओं की आवाज है।

5. निष्कर्ष

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य के लिए अधिक व्यक्तियों की जरुरत पड़ती हैं इसलिए गृह कार्य से लेकर कृषि कार्य तक को सुचारु रूप से चलने के लिए महिलाओ का महत्व अधिक है। मानव श्रम के रूप में ग्रामीण जीवन में महिलाओ का महत्वपूर्ण स्थान है।

आज चुनौती इस बात की है कि हम कैसे मिलजुल कर इन कम पढ़ी-लिखी व घर परिवार के दायरे में सिमटी महिलाओं को उद्यमशीलता से जोड़कर सशक्त बना सकें। इसके लिए सार्थक पहल का माध्यम है स्वयं सहायता समूह का गठन ताकि चन्द महिनों में वे अपनी छोटी-छोटी बचत से मिलजुल कर अपने हुनर के अनुरूप वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण करें और उनकी बिक्री से आय अर्जित कर आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनें।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा व आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही निर्णय लने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी अति आवश्यक है। इसके लिए भागीरथ प्रयासों की जरूरत है।

शिक्षित महिलाओं और जन प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि वे ग्रामीण महिला जागरण एवं सशक्तिकरण के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें ताकि इन ग्रामीण महिलाओं के सर्वागीण विकास और कल्याण के कार्यक्रमों का पूरी ताकत और इच्छा शक्ति के साथ निर्वहन किया जा सके।

ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज के विभिन्न वर्गो को समर्पित रूप से प्रयास करने होंगे। खास तौर से औद्योगिक घरानों को जो सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत यह सोच साकार कर सकते हैं कि

जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब अपकी वजह से लोग खुश होते है।"

यदि हम इन तकरीबन 41 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना पाएं तो यही मूल मंत्र होगा गांवों व भारत देश के विकास का। यहीं ग्रामीण महिलाएं

अपने घरेलू उद्योगों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होंगी।

आज महिलाएं कृषक और श्रमिक के तौर पर कृषि में निर्णायक भूमिका निभा रही है। नए-नए रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवकों का शहर की तरफ बढ रहे पलायन की वजह से आने वालें दिनों में महिलाओं की कृषि में भूमिका ओर ज्यादा -

- आज महिलाओं को कृषि के कार्यो में पुरूष के बराबर का हिस्सेदार बनाना होगा।
- कृषि कार्य से संबंधित तमाम कार्यक्रमों में उन्हें प्रमुखता से शामिल करने के लिए विशेष तरह की पहलकदमियां करनी होगी।
- महिलाओं को किसान का दर्जा देना और साथ ही जमीन का मालिकाना हक भी प्रदान करना।
- सरकार द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना और शिक्षण-प्रशिक्षण, शिविर, सुचनाएं, कार्यशालाएं, सेमिनार, विचार गोश्ठियां इत्यादि में महिलाओं को प्रमुखता से शामिल करना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- यादव सुबह सिंह, यादव डॉ. मोहनलाल (2007) कृषि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सम्भावनाएं एवं चुनौतियां, सबलाइस पब्लिकेशन, जपपुर, भारत, पृष्ठ संख्या
- यादव रवि प्रकाश, दीप रागिनी, राय पूजा, (2010) भारत में महिला श्रमिक, एटलांटिक पबिलशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा) लि., नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 88
- लानिंग कमीशन 2002. सक्सेस पुफल गवर्नेस इनीशिएटिव्स एंड बैस्ट प्रैक्टिसेसः एक्सपीरियेंसिस प्रफॉर्म इंडियन स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया इन कार्डिनेशन विद ह्यूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट सेंटर एंड यूएनडीपी, दिल्ली, 2002 ।
- वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मेरठ में।
- द्विवेदी, एच,एन. एवं द्विवेदी, बी. जी. (1956) ‘‘मध्य भारत का इतिहास” प्रथम खण्ड, 64 सचूना विभाग मध्य भारत द्वारा प्रकाशित पृष्ठ 324।
- देसाई नीरा, ठक्कर उषा, (2009), भारतीय समाज में महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 19
- मिथिलेश दुबे (2016) – “खेती-बाड़ी के कामों में महिलाएं सबसे आगे, फिर भी बराबरी का अधिकार नहीं”

Corresponding Author

Yudhvir Singh*

Department of Economics, Meerut College, Meerut

www.ignited.in